भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3946
दिनांक 17.03.2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

†**3946.** श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मनोज तिवारी:
श्री अनन्त नायक:
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी:
श्री तापिर गाव:
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्री कैप्टन बृजेश चौटा:
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री बलभद्र माझी:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री नव चरण माझी:
श्री नलिन सोरेन:
श्री गोडम नागेश:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री जुगल किशोर:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, दक्षिण कन्नड़, झारखंड के दुमका, जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, महाराष्ट्र के आकोला और वाशिम जिलों सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार आबंटित, जारी की गई, उपयोग की गई और लंबित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025-26 के दौरान आरजीएसए के अंतर्गत अनुमोदित ग्राम पंचायत भवनों और कम्प्यूटरों का ब्यौरा क्या है और उनके पूरा होने और प्रचालन की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और ऐसे जिला और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जिलों तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आरजीएसए निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसे जिला और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार क्या निगरानी तंत्र मौजूद है;

(घ) पंचायत स्तर पर निधि के पारदर्शी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ई-ग्राम स्वराज और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएमएस) को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और ऐसे जिला और लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित जिला-वार कितना अपनाया गया है; और

(ड.) क्या संशोधित आरजीएसए के तृतीय पक्ष (थर्ड-पार्टी) द्वारा किए गए मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर नीति में कोई संशोधन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) वित्त वर्ष 2025-26 में आरजीएसए के तहत आवंटित, जारी और खर्च की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसमें ओडिशा का क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला, झारखंड का दुमका जिला, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और महाराष्ट्र के अकोला तथा वाशिम जिले शामिल हैं। हालांकि जिला-वार आंकड़े केंद्र स्तर पर संधारित नहीं किए जाते।

(ख) पंचायती राज ''स्थानीय शासन'' के रूप में संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायतों के लिए अलग कार्यालय भवन बनाना और इंटरनेट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी होती है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि पंचायत भवन उपलब्ध हों और ठीक से काम कर रहे हों। इनमें आम लोगों के बैठने की व्यवस्था, ग्राम सभा की बैठक के लिए स्थान, नोटिस बोर्ड और बहुउद्देश्यीय कक्ष जैसी सुविधाएँ हों, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिले और लोग भी इनका उपयोग कर सकें।

हालांकि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायती राज मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सीमित स्तर पर सहयोग देता है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत पंचायत अवसंरचना, कंप्यूटर और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में सहायता दी जाती है।

मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत भवनों तथा कंप्यूटरों के निर्माण/स्वीकृति केवल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर दी जाती है। वर्ष 2025–26 के दौरान आरजीएसए के अंतर्गत स्वीकृत ग्राम पंचायत भवनों और कंप्यूटरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण तथा उनकी वर्तमान स्थिति, जिसमें ओडिशा के केओंझार लोकसभा क्षेत्र, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला, झारखंड के दुमका जिला, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, तथा महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले भी शामिल हैं अनुलग्नक-II में दी गई है। हालांकि जिला-वार आंकड़े केंद्र स्तर पर संधारित नहीं किए जाते।

ग) इस योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में की जाती है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा नियमित बैठकों का आयोजन, राज्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरे जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। यह व्यवस्था ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, झारखंड के दुमका जिले, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और महाराष्ट्र के अकोला तथा वाशिम जिलों पर भी लागू होती है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय सशक्त समिति, राज्य की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी देते समय योजना की प्रगति और खर्च की गई राशि की स्थिति की भी समीक्षा करती है। वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अगली किस्त जारी कराने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से जमा करनी होती है। आरजीएसए के तहत जारी और खर्च की गई निधियों की निगरानी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से की जाती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं।

इसके अलावा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने हेतु मंत्रालय ने योजना के तहत राज्यों द्वारा कराए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समायोचित निगरानी के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) भी बनाया है।

(घ) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मंत्रालय पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) लागू कर रहा है। यह व्यवस्था विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, जिनमें ओडिशा का क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला, झारखंड का दुमका जिला, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले शामिल हैं।

ई-ग्रामस्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायतों में डिजिटल योजना बनाना, लेखांकन करना, निगरानी करना और ऑनलाइन भुगतान करना संभव हुआ है। इस प्रणाली को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 में 52,161 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। इसके साथ ही 2,54,604 ग्राम पंचायतों (96.36 प्रतिशत) ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) इस प्रणाली पर अपलोड की है। पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा "मेरी पंचायत", "पंचायत निर्णय" और "ऑडिटऑनलाइन" जैसे नागरिकों के लिए उपयोगी प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए गए हैं। इनके माध्यम से पंचायत से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से देखी जा सकती है और ऑनलाइन लेखा परीक्षा भी की जा सकती है।

(ङ) जी हाँ। योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने और पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए संशोधित आरजीएसए का बाहरी मूल्यांकन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (आईआरएमए) द्वारा कराया गया है। इसके अलावा नीति आयोग ने भी इसके परिणामों का स्वतंत्र अध्ययन कराया है। इन आकलनों से पता चलता है कि योजना के तहत संगठित और बहु-स्तरीय क्षमता विकास व्यवस्था ने पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाई है। इसमें कक्षा आधारित प्रशिक्षण, विषय आधारित मॉड्यूल, एक्सपोजर विजिट और डिजिटल शिक्षा शामिल हैं।

इन प्रयासों से पंचायत संचालन, योजना निर्माण और क्रियान्वयन (जीपीडीपी सहित), डिजिटल शासन, नागरिक भागीदारी और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों में सुधार हुआ है। प्रशिक्षण के बाद किए गए आकलनों में ज्ञान और काम करने के तरीके दोनों में स्पष्ट सुधार पाया गया है। इससे स्थानीय शासन और अधिक प्रभावी हुआ है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने में भी सहायता मिली है।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3946 जिसका उत्तर दिनांक 17/03/2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)		
		आवंटित की गई धनराशि	जारी की गई धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1.81
2	आंध्र प्रदेश	30	30	35.02
3	अरुणाचल प्रदेश	52	52	54.04
4	असम	55.71	55.71	57.22
5	बिहार	35	35	35.69
6	छत्तीसगढ़	30	30	29.7
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1.25	1.25	1.71
8	गोवा	1	1	1.29
9	गुजरात	7.5	7.5	10.62
10	हरियाणा	17.5	17.5	29.17
11	हिमाचल प्रदेश	14	14	18.77
12	जम्मू और कश्मीर	50	50	64.34
13	झारखंड	15	15	21.62
14	कर्नाटक	20	20	22.81
15	केरल	18	18	20.63
16	लद्दाख	0.5	0.5	0.21
17	लक्षद्वीप	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	42	42	64.09
19	महाराष्ट्र	53	53	80.52
20	मणिपुर	3.55	3.55	8.95
21	मेघालय	7.5	7.5	4.64
22	मिजोरम	15	15	17.68
23	नागालैंड	10	10	11.21
24	ओडिशा	55	55	80.26
25	पुदुच्चेरी	0	0	0
26	पंजाब	30	30	34.02
27	राजस्थान	10	10	22.96
28	सिक्किम	3	3	4.28
29	तमिलनाडु	20	20	51.67
30	तेलंगाना	3	3	24.83

31	त्रिपुरा	30	30	27.16
32	उत्तर प्रदेश	20.24	20.24	53.35
33	उत्तराखंड	40	40	26.77
34	पश्चिम बंगाल	40	40	71.09
	उप-कुल	**730.75**	**730.75**	
	अन्य कार्यान्वयन एजेंसी	20.78	20.78	20.58
	कुल	**751.53**	**751.53**	**1008.71**

धनराशि के उपयोग में केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा और पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि शामिल है। जारी की गई धनराशि केवल केन्द्रीय हिस्से को प्रदर्शित करती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, जारी की गई धनराशि में 30 जून 2025 तक एसएनए और 1 जुलाई 2025 से एसएनए-स्पर्श दोनों के माध्यम से धनराशि शामिल है।

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3946 जिसका उत्तर दिनांक 17/03/2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

वर्ष 2025-26 के दौरान आरजीएसए के तहत स्वीकृत ग्राम पंचायत भवनों एवं कंप्यूटरों और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2025-26 (दिनांक 28.02.2026 तक)			
		स्वीकृत ग्राम पंचायत भवन	*निर्मित जीपी भवन	स्वीकृत कंप्यूटर	#खरीदे गए कंप्यूटर
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	30	0	736
3	असम	0	110	868	868
4	बिहार	0	0	2000	0
5	छत्तीसगढ़	70	0	4585	0
6	गोवा	0	0	25	0
7	गुजरात	0	0	43	0
8	हरियाणा	0	0	0	22
9	हिमाचल प्रदेश	18	21	75	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	185	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0
13	केरल	0	0	200	200
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	0	113	680	0
16	मणिपुर	0	0	0	0
17	मेघालय	0	4	0	0
18	मिजोरम	0	30	0	140
19	नागालैंड	0	0	344	0
20	ओडिशा	500	0	200	200
21	पंजाब	500	0	4000	0
22	राजस्थान	6	0	0	0
23	सिक्किम	0	7	0	50
24	तमिलनाडु	0	0	0	0
25	तेलंगाना	0	11	1834	1834
26	त्रिपुरा	61	0	18	0
27	उत्तर प्रदेश	200	80	0	0
28	उत्तराखंड	200	96	3000	493
29	पश्चिम बंगाल	87	0	1600	0
30	अंडमान और निकोबार	2	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन	0	3	0	0

	एवं दीव				
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0
33	लद्दाख	0	0	0	0
34	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
	कुल	**1644**	**690**	**19472**	**4543**

***** निर्मित पंचायत भवनों की संख्या में पूर्व वर्षों के दौरान स्वीकृत पंचायत भवनों की संख्या भी शामिल है।
प्राप्त किए गए कंप्यूटरों की संख्या में पिछले वर्षों में स्वीकृत किए गए कंप्यूटरों की संख्या भी शामिल है।
